कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः **apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/ 1944 नवा रायपुर दिनांक 17/08/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road area 10.465 ha reg.**
पंजीयन क्रमांक – FP/ CG/ROAD/43587/2019

संदर्भः – आपका पत्र क्रमांक/तक./1905 दिनांक 21.07.2022

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण किये जाने पर निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही :–

1. संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के अन्य सभी दस्तावेजों में आवेदित गैर वानिकी कार्य के विवरण में Rehabilitation & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road लेख किया गया है। जिसका तात्पर्य उक्त सड़क का पुर्नवास तथा उन्नयन है, जबकि संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 में धरमजयगढ़ कापू मार्ग को आवेदक के आवेदन पृष्ठ क्रमांक–2 में आवेदित कार्य को मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित किया गया है, वहीं प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–26 के भाग–2 एवं भाग–3 में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। कृपया आवेदित कार्य के स्वरूप को स्पष्ट करें तथा तदानुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव में एकरूपता के साथ संशोधित करें।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–221 में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता का मुख्य सचिव, का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना है किन्तु कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

3. उल्लेखनीय है कि ए.डी.बी. परियोजना अंतर्गत एक अन्य प्रकरण महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 2.767 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–12/ 2022/ 10–2 दिनांक 27.07.2022 विषयांकित प्रकरण में आपत्ति लिया जाकर प्रकरण मूलतः वापस किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। इस प्रकरण में भी इसी प्रकरण की कमियां परिलक्षित हो रही है अतएव उक्त त्रुटि का सुधार करना आवश्यक है ताकि प्रकरण में शासन स्तर से आपत्ति न उठाया जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित त्रुटियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीध्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः वापिस किया जा रहा है।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 03 प्रति में

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/1945 रायपुर, दिनांक 17/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

- **वनमंडलाधिकारी**, धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
- **Project Manager**, CSRSP PWD DB Project C/o Chief Engineer PWD Bilaspur Zone Campus Infront of Civil Court Bilaspur Chhattisgarh.

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ

-322-Letter Vidh 2022 (1)